शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–157/11–6–10–20एम(133)/08 टी.सी.

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः :दिनांक 21 फरवरी, 2011

विषयः केबिल टी0वी0नेटवर्क सेवा पर कराधान सम्बन्धी एकमुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी आदेश निर्गत करने की अवधि का विस्तार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सख्या–4979/प्र0क0–3/के0समा0यो0/2010–11, दिनॉक 03–02–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केबिल टी0वी0नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने विषयक शासनादेश दिनॉक 03–08–10 की शर्त संख्या–01 में उल्लिखित अवधि का दिनॉक 28–02–11 तक विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरांत मा0मंत्री जी, मनोरंजन कर, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित मनोरंजन कर विभाग की समीक्षा बैठक में दिनॉक 02–02–11 के निर्देश के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1283/11–6–10–एम(20)/08, दिनॉक 03–08–10 की शर्त संख्या–01 में उल्लिखित केबिल टी0वी0नेटवर्क सेवा पर कराधान संबंधी एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी आदेश निर्गत करने की तिथि दिनॉक 28–02–2011 तक बढ़ायी जाती है।

3. तद्नुसार उक्त से समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराने एवं केबिल टी0वी0 नेटवर्क पर कराधान संबंधी एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने हेतु नियमानुसार निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–5266/प्र0क0–03/के0समाधान/2010–11 लखनऊःदिनांक 23 फरवरी, 2011

प्रतिलिपिः–1– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार अपने जनपद में दिनांक 28.02.2011 तक प्राप्त होने वाले केबिल समाधान योजना के समस्त आवेदन पत्रो पर आदेश निर्गत करने का कष्ट करें

2–समस्त उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश के अनुसार दिनांक 30.11.2010 के पश्चात् प्राप्त हुए एवं अन्य प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर केबिल समाधान सम्बन्धी आदेश दिनांक 28.02.2011 तक प्रत्येक दशा में पारित कराकर पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–3872 दिनांक 12 नवम्बर 2010 का अनुपालन करते हुए निर्धारित प्रारूप में अद्यतन विवरण पत्र फैक्स द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा आगामी मासिक बैठक में एक प्रति अपने साथ अवश्य लायें, इसमें किसी भी प्रकार की चूक क्षम्य नहीं होगी।